शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 31/जी0आई0-206/52-1-2014-1(118)/13

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2014**

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिनांक 26.08.2013 को 70वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड-अमरिया एवं पूरनपुर में मा0विद्यालय का हाई स्कूल उच्चीकरण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्य श अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(16)/2012-पी0पी0, दिनांक 20.09.2013 से जनपद पीलीभीत के उक्त विकास खण्डों के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 232.48 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 174.36 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश ₹0 87,20,000/-(रू0 सत्तास□ □□ □□ □□□ मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश 0 29,06,000/-(रू0 उन्तिस □□ □: □□□ मात्र) अर्थात् कुल 0 1,16,26,000/- (रू0 एक करोड़ सोलह लाख छब्बीस□ □□□ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित बजट ₹0 7820.00 □□ के सापेक्ष पारित 04 □□ □□□□□□□ में से रू0 116.26 □□ अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपा□ महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

विकास खण्ड-अमरिया										(रू0 लाख में)	
क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	□□□□ □□□□ द्वारा प्रायोजना की स्वीकृ□□ □□□	□□0□□0□0डी0 द्वारा आंकलित □□□	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त □□□ □□□□□ (□□0/□□0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□ में माध्यमि□□ विद्यालय का हाई स्कूल □□ उच्चीकृ□□□	01	58.12	43.59	14.53	58.12	67.44	21.80	7.265	29.065
2	,,	□□□□□□ हसन में □□0विद्यालय □□ □□□ स्कूल □□ उच्चीकृ□□□	01	58.12	43.59	14.53	58.12	67.44	21.80	7.265	29.065
3	,,	□□□□ □□□ में □□0विद्यालय □□ □□□ स्कूल □□ उच्चीकृ□□□	01	58.12	43.59	14.53	58.12	67.44	21.80	7.265	29.065
विकास खण्ड□□□□□											
4	,,	दागा में □□0विद्यालय □□ □□□ स्कूल □□ उच्चीकृ□□□	01	58.12	43.59	14.53	58.12	67.44	21.80	7.265	29.065
		□□□	**04**	**232.48**	**174.36**	**58.12**	**232.48**	**269.76**	**87.20**	**29.06**	**116.26**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वी□□□, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त □□□□ ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया □□□□□

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 □□□□ द्वारा □□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज**, □□□□ □□ हस्तान्तरित की जाये □ □□0विद्यालय का हाई स्कूल का उच्च□□□ □□ □□0□□0□0डी0 द्वारा प्रायोजना की मूल्यांकित धनराशि से ही 04 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किय जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क -मदों पर ही किया जायेगा □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था □□□□□□, □□ मध्य □□ □□□ □□ □□0□0□0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया □□□□

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- प्रश्नगत □□0विद्यालय का हाई ल का उच्च□□□ की गाइड लाइन □□ माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्ता □□ □□ पूर्ण किया जायेगा।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमि□□□ □□ लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत □□0विद्यालय का हाई स्कूल का उच्चीकरण□□□ □□ □□ बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, □□□□ की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर □□ नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की □□□□ □□ □□□ □□□□ कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकि किया जायेगा।

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट □□□ विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। □□0विद्यालय का हाई स्कू□ □□ उच्चीकरण□□ की विशिष्टियाँ, □□□□, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही हो जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में न्धित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदा□□□ होंगे।

12- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जि लाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी र हस्तान्तरित उपभोग प्रम -पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य फोटोग्राफ्स की सूची की -2 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 □□ उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमा -पत्र व उक्त अन्य □□□□□ □□□□ □□ उपलब्ध □□□□ जायेंगे।

13- उक्त व्यय वित्त य वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद् न्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश् तवर्ती अवा□ □□ □□□ आवश्यक धन व वस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□-व्ययक एवं तद्सम न्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध □□ □□□

14- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □ □- व्यय□ □□ अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण □□ □□□□ परिव्यय-□ □□□□□-02-□□□□ कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय □ □□□□□□ /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान □□न्तर्गत राजकीय हाई स्कूल □□इण्टर □लेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्ष-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 75/ □0 25-□0+□0)**-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-□-11-738/□□-2014, दिनांक 18.06.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□

संख्या (1)/□□□-1-2014तद्दिनांक

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- संयुक्त □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□□□, पर्यावरण भवन, □□0□□0 □ 0 □□म्पलेक्स □□□□ □□□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचि , माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नग□□ □□0विद्यालय का हाई स्कूल का उच्चीकरण के निर्माण को पूर्ण कराने हेतु माइल स्टोन तय करालें ताकि समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण किया जा र प्रश्नगत कार्यों को निर्धारित मानकों □□ □□□□□□ करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, □□□□□

7- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्य □ □□□ □□ □□ □□0मंत्री जी वे अवलोकनार्थ।

8- □□□□ □□□□, प्रमुख □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख □□□□ □□□□□ □□अवलोकनार्थ।

9- □□□□□□, माध्यमिक शिक्षा विभाग, □□□□□

10- □□□□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नग□□ □□0विद्यालय का हाई स्कूल का उच्चीक□□□ का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

11- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□□, □□□□□

12- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □□□□□□□

13- वित्त (□□-व्यय□) □□□□□-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 □□ 01 प्रति।

14- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□□, □□□□ □□ □□ □□□ से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट □□ □□□□□ करने का कष्ट करें।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in